बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (पटना) 02–88/2022–.....................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...........

श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित द्वारा कमर में चोट का उल्लेख करते हुए दिनांक–08.03.2021 से 12.03.2021 तक अवकाश की स्वीकृति का आवेदन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को समर्पित किया गया। उनके द्वारा दिनांक 15.03.2021 से 19.03.2021, दिनांक 23.03.2021 से 26.03.2021 एवं दिनांक 05.04.2021 से 09.04.2021 तक अवकाश विस्तार संबंधी आवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। परन्तु दिनांक 09.04.2021 के बाद अवकाश विस्तार हेतु श्रीमती कुमारी का आवेदन निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ और न हीं अबतक उन्होने अपने पद पर योगदान की है।

2. विभागीय पत्रांक–166(3) दिनांक–25.03.2022, पत्रांक–452(3) दिनांक–29.08.2022, पत्रांक–1739(15) दिनांक– 20.10.2022 एवं पत्रांक–139(15) दिनांक–30.01.2023 द्वारा कर्त्तव्य से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक–23.10.2022 को आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें तबीयत ठीक नहीं होने/ ईलाजरत होने एवं चिकित्सक द्वारा आराम की सलाह देनें का जिक्र करते हुए कार्यालय आने में असमर्थतता व्यक्त किया गया। संलग्न चिकित्सा पूर्जा होमियोपैथी चिकित्सक का है, जिसमें आराम करने की सलाह का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती कुमारी द्वारा दिये गये सभी अवकाश आवेदनों को युक्तियुक्त कारण नहीं होने के फलस्वरूप अस्वीकृत करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण/सूचना/प्रतिउत्तर की मांग की गयी। यह भी अंकित किया गया कि निर्धारित समय के अन्दर अभ्यावेदन अप्राप्ति की दशा में यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और नियमानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिया जाएगा। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण/ सूचना/प्रतिउत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिये निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा विहित प्रपत्र में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1663(15) दिनांक–05.09.2023, पत्रांक–2058(15) दिनांक–30.11.2023, पत्रांक–275(15) दिनांक–20.02.2024 एवं प्रेस विज्ञप्ति विभागीय पत्रांक–973(15) दिनांक–22.05.2024 द्वारा अंतिम रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, इसके बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

6. श्रीमती कुमारी दिनांक–09.04.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम रूप से स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किये जाने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोपों के लिये विभागीय संकल्प सं0–695(15) दिनांक–08.05.2025 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। साथ ही मामले की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं उपस्थापन पदाधिकारी के

रूप में उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को नामित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–732 (15) दिनांक–13.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

7. आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–288/लेखा दिनांक–25.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निलंबन के पश्चात् श्रीमती कुमारी द्वारा इस कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है। दूरभाष के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कुमारी द्वारा अबतक योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

8. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि विभागीय संकल्प सं0–732(15) दिनांक–13.05.2025 के द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से उनका पक्ष सुनने हेतु कई बार नोटिस निर्गत किया गया, जो सम्प्रति अप्राप्त है। विशेष सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सं0–190 दिनांक–13.10.2025 के अनुपालन के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने एवं अपना लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति सं0–PR-017288 (Revenue) 2025-26 के द्वारा सूचना प्रकाशित करवाई गयी। इसके बावजूद भी श्रीमती कुमारी सुनवाई में अनुपस्थित रही।

9. आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कमर में चोट का उल्लेख करते हुए दिनांक–08.03.2021 से 12.03.2021 तक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को समर्पित किया गया तथा दिनांक–15.03.2021 से 19.03.2021, दिनांक–23.03.2021 से 26.03.2021 एवं दिनांक–05.04.2021 से 09.04.2021 तक अवकाश विस्तार हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरांत दिनांक–09.04.2021 के पश्चात् अवकाश विस्तार हेतु न तो कोई आवेदन समर्पित किया गया और न ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में योगदान समर्पित किया गया तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया और स्पष्टीकरण पूछे जाने पर कोई जबाव नहीं दिया गया, साथ ही निलंबन के पश्चात् भी निर्धारित मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में योगदान नहीं किया गया जो पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है, जो सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है।

10. किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है न कि मात्र आवेदन देकर अवकाश में मुख्यालय से प्रस्थान करना होता है। साथ ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा निलंबन के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं किया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। विभागीय संकल्प सं0–695, दिनांक–08.05.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी का निलंबित करते हुए मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–288/लेखा, दिनांक–25.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निलंबन के पश्चात् आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

11. आरोपी पदाधिकारी दिनांक–09.04.2021 से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हैं। आरोप–पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी बार–बार स्मारित किए जाने एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किए जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा न तो उपस्थित होकर और न ही डाक के

माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी के पास उनके बचाव के पक्ष में कोई साक्ष्य / तथ्य उपलब्ध नहीं है, साथ ही वे सेवा में बने रहने के इच्छुक नहीं हैं।

12. संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित अभिकथन से सहमत होते हुए आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी के विरूद्ध गठित आरोपों का संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः प्रमाणित अंकित किया गया है।

13. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सोनी कुमारी के विरूद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

14. श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक–911(15) दिनांक–25.06.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक–01.07.2026 को सम्पन्न बैठक में मद सं०–16 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

15. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्रीमती सोनी कुमारी, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित को **"सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"**, का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

<u>श्रीमती सोनी कुमारी से संबंधित ब्योरा निम्नवत है:–</u>

1. नाम	:–	श्रीमती सोनी कुमारी
2. पिता का नाम	:–	श्री विनोद कुमार
3. पदनाम	:–	राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित।
4. जन्म तिथि	:–	19.11.1990
5. सेवानिवृति की तिथि	:–	30.11.2050
6. स्थाई पता	:–	स्टील सेटर, पैराडाईज होटल के सामने, सदर बाजार, दानापुर कैन्ट, पटना, पिन–801503

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

निबंधित ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–88/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना/समाहर्त्ता, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ श्रीमती सोनी कुमारी (गृह पता– **स्टील सेटर, पैराडाईज होटल के सामने, सदर बाजार, दानापुर कैन्ट, पटना, पिन–801503**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\soni kumari_RO(survey_patna)_dismis_ बर्खास्त.doc-3

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–88/2022–.........1068.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.17/7/26.................

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय , प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान)
विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\soni kumari RO(survey patna) dismis_ barkhast.doc-4